

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 89

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5491.98	262.02	5754.00	6226.95	339.00	6565.95	6241.38	328.01	6569.39	6589.78	318.22	6908.00
<i>वसूलियां</i>	-1.26	...	-1.26
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	5490.72	262.02	5752.74	6226.95	339.00	6565.95	6241.38	328.01	6569.39	6589.78	318.22	6908.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	32.62	...	32.62	35.79	...	35.79	39.31	...	39.31	41.10	...	41.10
राष्ट्रीय आयोग												
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	14.73	...	14.73	16.58	...	16.58	15.88	...	15.88	18.20	...	18.20
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	3.99	...	3.99	4.80	...	4.80	4.90	...	4.90	5.50	...	5.50
4. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	3.64	...	3.64	4.09	...	4.09	2.75	...	2.75	4.50	...	4.50
5. राष्ट्रीय विमुक्त जनजाति आयोग	0.91	...	0.91	1.76	...	1.76	2.29	...	2.29	2.50	...	2.50
जोड़-राष्ट्रीय आयोग	23.27	...	23.27	27.23	...	27.23	25.82	...	25.82	30.70	...	30.70
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	55.89	...	55.89	63.02	...	63.02	65.13	...	65.13	71.80	...	71.80
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
केंद्रीय छात्रवृत्तियां												
6. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	200.55	...	200.55	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	230.00	...	230.00
7. अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	18.30	...	18.30	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00	40.00	...	40.00
8. अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग	6.83	...	6.83	25.00	...	25.00	2.00	...	2.00	25.00	...	25.00
9. अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	29.76	...	29.76	21.00	...	21.00	31.00	...	31.00	35.00	...	35.00
10. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	16.12	...	16.12	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
11. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	4.30	...	4.30
जोड़-केंद्रीय छात्रवृत्तियां	272.56	...	272.56	290.00	...	290.00	278.00	...	278.00	349.30	...	349.30
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	272.56	...	272.56	290.00	...	290.00	278.00	...	278.00	349.30	...	349.30

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण													
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं													
अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना													
12. शैक्षिक सशक्तिकरण													
12.01	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	2213.88	...	2213.88	2791.00	...	2791.00	2820.70	...	2820.70	3347.99	...	3347.99
12.02	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	524.65	...	524.65	550.00	...	550.00	510.00	...	510.00	50.00	...	50.00
12.03	बालक और बालिका छात्रावास	48.97	...	48.97	45.00	...	45.00	35.00	...	35.00	155.00	...	155.00
12.04	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता उन्नयन	2.75	...	2.75	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
12.05	अस्वच्छ व्यवसायों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2.42	...	2.42	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	2.70	...	2.70
जोड़- शैक्षिक सशक्तिकरण		2792.67	...	2792.67	3391.00	...	3391.00	3367.70	...	3367.70	3557.69	...	3557.69
13. विशेष केन्द्रीय सहायता													
13.01	अनुसूचित जाति उप-स्कीमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	800.00	...	800.00	800.00	...	800.00	800.00	...	800.00	800.00	...	800.00
14. नागरिक अधिकार													
14.01	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र को मजबूत बनाना	118.98	...	118.98	150.00	...	150.00	228.49	...	228.49	300.00	...	300.00
14.02	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र	0.01	...	0.01	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	40.00	...	40.00
14.03	अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	49.96	...	49.96	50.00	...	50.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00
14.04	डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक	10.00	...	10.00	16.99	...	16.99	16.99	...	16.99	62.00	...	62.00
14.05	बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान	63.75	...	63.75	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़- नागरिक अधिकार		242.70	...	242.70	317.99	...	317.99	416.48	...	416.48	473.00	...	473.00
15. आजीविका													
15.01	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	...	100.00	100.00	...	139.00	139.00	...	138.00	138.00	...	128.21	128.21
15.02	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00
15.03	अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी निधि	...	0.01	0.01	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00
15.04	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
15.05	अनुसूचित जाति के लिए ऋण गारंटी निधि	...	0.01	0.01	...	10.00	10.00	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
15.06	सफाई कर्मचारियों (स्केटवैजर्स) के पुनर्वास की स्व-रोजगार योजना	10.00	...	10.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
जोड़- आजीविका		20.00	150.02	170.02	30.00	239.00	269.00	21.00	228.01	249.01	25.00	218.22	243.22
16. अवसंरचना विकास													

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
16.01 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	195.82	...	195.82	90.00	...	90.00	50.00	...	50.00	40.00	...	40.00
जोड़-अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना	4051.19	150.02	4201.21	4628.99	239.00	4867.99	4655.18	228.01	4883.19	4895.69	218.22	5113.91
अन्य वंचित समूहों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम												
17. पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं												
17.01 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	822.75	...	822.75	885.00	...	885.00	885.00	...	885.00	885.00	...	885.00
17.02 राज्य	120.78	...	120.78	142.00	...	142.00	142.00	...	142.00	142.00	...	142.00
17.03 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	...	112.00	112.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
17.04 बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास	40.30	...	40.30	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
17.05 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजना	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	15.12	...	15.12	10.00	...	10.00
17.06 विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए योजना	4.50	...	4.50	5.00	...	5.00	4.50	...	4.50	6.00	...	6.00
17.07 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	5.02	...	5.02	4.00	...	4.00	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00
जोड़- पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं	1003.35	112.00	1115.35	1086.00	100.00	1186.00	1095.62	100.00	1195.62	1093.00	100.00	1193.00
18. अन्य वंचित समूहों के लिए योजनाएं												
18.01 वृद्धजनों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	28.60	...	28.60	37.00	...	37.00	37.00	...	37.00	46.00	...	46.00
18.02 राष्ट्रीय मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण योजना	36.15	...	36.15	35.00	...	35.00	46.00	...	46.00	46.00	...	46.00
18.03 सूचना तथा जन-शिक्षा सैल	22.19	...	22.19	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	33.00	...	33.00
18.04 राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान	18.37	...	18.37	24.93	...	24.93	23.93	...	23.93	22.24	...	22.24
18.05 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए योजना	15.00	...	15.00	0.01	...	0.01	4.00	...	4.00
18.06 भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम	10.00	...	10.00	1.00	...	1.00	4.00	...	4.00
18.07 समाज रक्षा सेवा प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
18.08 नशीली दवा दुरुपयोग और नशीले पदार्थ दुरुपयोग की प्रमात्रा, पैटर्न और प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण	3.00	...	3.00	6.00	...	6.00	15.24	...	15.24
18.09 अनुसंधान, अध्ययन और प्रकाशन	0.68	...	0.68	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	6.50	...	6.50
18.10 राष्ट्रीय मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण नीति	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़- अन्य वंचित समूहों के लिए योजनाएं	108.99	...	108.99	158.94	...	158.94	147.45	...	147.45	179.99	...	179.99
जोड़-अन्य वंचित समूहों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम	1112.34	112.00	1224.34	1244.94	100.00	1344.94	1243.07	100.00	1343.07	1272.99	100.00	1372.99
19. वास्तविक वसूलियां	-1.26	...	-1.26
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	5162.27	262.02	5424.29	5873.93	339.00	6212.93	5898.25	328.01	6226.26	6168.68	318.22	6486.90
कुल जोड़	5490.72	262.02	5752.74	6226.95	339.00	6565.95	6241.38	328.01	6569.39	6589.78	318.22	6908.00

ख. विकास शीर्ष सामान्य सेवाएं

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. मंत्रिपरिषद्	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
जोड़-सामान्य सेवाएं	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
सामाजिक सेवाएं												
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	523.25	...	523.25	591.80	...	591.80	595.29	...	595.29	654.47	...	654.47
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	108.87	...	108.87	141.24	...	141.24	132.15	...	132.15	160.76	...	160.76
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	31.97	...	31.97	35.75	...	35.75	39.27	...	39.27	41.06	...	41.06
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	262.02	262.02	...	325.22	325.22	...	315.23	315.23	...	304.65	304.65
जोड़-सामाजिक सेवाएं	664.09	262.02	926.11	768.79	325.22	1094.01	766.71	315.23	1081.94	856.29	304.65	1160.94
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	231.42	...	231.42	230.52	...	230.52	239.56	...	239.56
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	4823.03	...	4823.03	5210.20	...	5210.20	5227.61	...	5227.61	5474.39	...	5474.39
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3.56	...	3.56	16.50	...	16.50	16.50	...	16.50	19.50	...	19.50
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	13.78	13.78	...	12.78	12.78	...	13.57	13.57
जोड़-अन्य	4826.59	...	4826.59	5458.12	13.78	5471.90	5474.63	12.78	5487.41	5733.45	13.57	5747.02
कुल जोड़	5490.72	262.02	5752.74	6226.95	339.00	6565.95	6241.38	328.01	6569.39	6589.78	318.22	6908.00

7. **अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप:** इस योजना का उद्देश्य, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना है ताकि वे उपयुक्त रोजगार प्राप्त कर सकें।

1. **सचिवालय:** सचिवालय व्यय का प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना व्यय हेतु किया गया है।

3. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के स्थापना व्यय हेतु किया गया है।

4. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना व्यय हेतु किया गया है।

5. **राष्ट्रीय विमुक्त जनजाति आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय विमुक्त जनजाति आयोग के स्थापना व्यय हेतु किया गया है।

6. **अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप:** यह योजना, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एम.फिल/पी.एच.डी. के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में समकक्ष अनुसंधान उपाधि के लिए 2005-06 में शुरु की गई थी। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

8. **अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग:** यह प्रावधान अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी बनाने के लिए कोचिंग प्रदान करने के लिए है और इसको प्रसिद्ध संस्थानों/केंद्रों/यूटी प्रशासनो/विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के संगठनों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

9. **अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा:** इस स्कीम के अंतर्गत, उत्कृष्ट संस्थानों को अधिसूचित किया गया है और इनमें से किसी भी संस्थान में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें उनकी ट्यूशन फीस, जीवन-निर्वाह-खर्च, पुस्तकों और कंप्यूटर संबंधी जरूरतें पूरी होती हैं।

10. **अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति:** यह प्रावधान अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति के लिए किया गया है।

11. **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति:** यह प्रावधान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति के लिए किया गया है।

- 12.01. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** इस योजना का उद्देश्य, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।
- 12.02. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य, अनुसूचित जाति के बच्चों के माता-पिता को कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत उनके बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता प्रदान करना है ताकि प्राथमिक से माध्यमिक स्तर में स्कूल छोड़ने की घटनाएं कम से कम हों।
- 12.03. **बालक और बालिका छात्रावास:** अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए जो मध्यम और उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु संघ शासित प्रशासन को 100 प्रतिशत और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत और अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। संघ शासित प्रशासनों, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों को नए निर्माण कार्य और वर्तमान छात्रावास भवनों के विस्तार के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र में डीम्ड विश्वविद्यालयों को उनके विद्यमान छात्रा छात्रावासों के विस्तार की अनुमानित राशि का 90 प्रतिशत तक केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 12.04. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता उन्नयन:** यह प्रावधान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता उन्नयन के लिए है।
- 12.05. **अस्वच्छ व्यवसायों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य लक्ष्य समूहों – (i) स्केवेंजर्स, (ii) सफाई कर्मचारियों, (iii) टैनर्स, (iv) फ्लेयर्स, (v) खुली नाली सफाई-कर्त्ताओं और (vi) कूड़ा बीनने वालों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- 13.01. **अनुसूचित जाति उप-स्कीमों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता:** इसका मुख्यक उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए संगत विकास कार्यक्रमों पर बल देना है। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है जो अनुसूचित जाति उप-योजना तैयार कर रहे हैं और उसे क्रियान्वित कर रहे हैं। अधिक आय-जन्य गतिविधियों में अपनी संभाव्यता एवं उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए अनुसूचित जाति के युवाओं को ज्यादा अवसर प्रदान करने के लिए केंद्रीय सहायता के मौजूदा फार्मेट के अंतर्गत नए उभरते हुए क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है।
- 14.01. **सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र को मजबूत बनाना:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष एवं विशेष पुलिस स्टेशनों के कार्यकरण तथा सुदृढीकरण, अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना एवं कार्यकरण, अंतर्जातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन, अत्याचार पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास और जागरूकता पैदा करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- 14.02. **डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र:** यह प्रावधान डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के लिए है।
- 14.03. **अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता:** इस योजना का उद्देश्य, अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सक्षम तथा विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को प्रत्येक योजना लागत की 90% सीमा तक सहायता अनुदान दिया जाता है, जैसे

- सामान्य/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करना, सेवा गतिविधियां जैसे चिकित्सा केन्द्रों एवं डिस्पेंसरियां और आय-जन्य गतिविधियां जैसे अनेक व्यावसायिक ट्रेडों में तकनीकी प्रशिक्षण।
- 14.04. **डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक:** यह प्रावधान डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के लिए है।
- 14.05. **बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान:** यह प्रावधान बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रतिष्ठान के लिए है।
- 15.01. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए है।
- 15.02. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम को शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए है।
- 15.03. **अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी निधि:** आईएफसीआई के माध्यम से अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी निधि के संबंध में प्रावधान किया गया है।
- 15.04. **राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम:** राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम के लिए प्रावधान किया गया है।
- 15.05. **अनुसूचित जाति के लिए ऋण गारंटी निधि:** आईएफसीआई के माध्यम से अनुसूचित जाति के लिए ऋण गारंटी निधि के लिए प्रावधान किया गया है।
- 15.06. **सफाई कर्मचारियों (स्केटवेंजर्स) के पुनर्वास की स्व-रोजगार योजना:** इस योजना का उद्देश्य शेष स्केटवेंजर्स और उनके आश्रितों का एक समयबद्ध तरीके से पुनर्वास करना है। योजना के तहत, लाभार्थियों को लाभदायक स्व अथवा मजदूरी रोजगार के लिए ऋण, सव्मिडी और प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- 16.01. **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना:** प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए प्रावधान किया गया है।
- 17.01. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य पीएचडी डिग्री तक मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।
- 17.02. **राज्य:** मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति : इस योजना के अंतर्गत, अन्य पिछड़े वर्गों के उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल आय 44,500 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होती है।
- 17.03. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम:** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- 17.04. **बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास:** इस योजना का उद्देश्य , अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा अवसर प्रदान करना है।

- 17.05. **आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजना:** आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए प्रावधान किया गया है।
- 17.06. **विमुक्त और घुमन्तु जनजातियों के विकास के लिए योजना:** विमुक्त और घुमन्तु जनजातियों के विकास के लिए योजना हेतु प्रावधान किया गया है।
- 17.07. **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता:** अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने हेतु प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित व्यय का 90% और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शेष 10% व्यय वहन किया जाता है।
- 18.01. **वृद्धजनों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता:** इस योजना के अंतर्गत दिवा-देखभाल केन्द्रों, वृद्धाश्रमों, चल-चिकित्सा एककों आदि का संचालन और अनुरक्षण करने के लिए कुल परियोजना लागत की 90% तक राशि वित्तीय सहायता के रूप में देने का प्रावधान है।
- 18.02. **राष्ट्रीय मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण योजना:** मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण संबंधी योजना और राष्ट्रीय मद्यपान और नशीली दवा दुरुपयोग निवारण नीति से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
- 18.03. **सूचना तथा जन-शिक्षा सैल:** सूचना तथा जन-शिक्षा से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
- 18.04. **राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान:** राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
- 18.05. **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए योजना:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए योजना से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
- 18.06. **भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम:** भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
- 18.07. **समाज रक्षा सेवा प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता:** समाज रक्षा सेवा प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
- 18.08. **नशीली दवा दुरुपयोग और नशीले पदार्थ दुरुपयोग की प्रमात्रा, पैटर्न और प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण:** नशीली दवा दुरुपयोग और नशीले पदार्थ दुरुपयोग की प्रमात्रा, पैटर्न और प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
- 18.09. **अनुसंधान, अध्ययन और प्रकाशन:** अनुसंधान अध्ययन और प्रकाशन से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
- 18.10. **राष्ट्रीय मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण नीति:** राष्ट्रीय मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण नीति के लिए सैद्धांतिक आबंटन किया गया है।